

कार्यालय,

सचिव, प्राविधिक शिक्षा परिषद,

उत्तर प्रदेश लखनऊ।

संख्या:- प्राशिप/परिषद सम्बद्धता/2021/3537

लखनऊ: दिनांक: 09/08/2021

:-कार्यालय जाप:-

अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, नई दिल्ली/फार्मेसी काउन्सिल ऑफ इण्डिया, नई दिल्ली द्वारा शैक्षिक सत्र 2021-22 हेतु डेप्लोमा स्तरीय तकनीकी शिक्षण संस्थाओं को अनुमोदन प्रदान किए जाने के उपरांत प्राविधिक शिक्षा परिषद, उ०प्र० लखनऊ से सम्बद्धता/सम्बद्धता विस्तार प्रदान किए जाने हेतु दिनांक- 08/08/2021 को परिषद कार्यालय में सम्बद्धता समिति की बैठक संपन्न हुई। बैठक में समिति द्वारा सत्र 2021-22 हेतु आवेदित नई संस्थाओं को सम्बद्धता/ पूर्व से संचालित संस्थाओं को सम्बद्धता विस्तार/ पाठ्यक्रम प्रवेश क्षमता वृद्धि सहित अन्य मदों पर विचार करते हुए सत्र 2021-22 हेतु सम्बद्धता/ सम्बद्धता विस्तार प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया।

सम्बद्धता समिति की बैठक में लिये गये निर्णय के अनुक्रम में निम्न संस्था को प्राविधिक शिक्षा परिषद, उ० प्र० लखनऊ द्वारा सत्र 2021-22 हेतु निम्नलिखित शर्तों के अधीन पाठ्यक्रम एवं उसमें अंकित प्रवेश क्षमता हेतु सम्बद्धता विस्तार प्रदान की जाती है:-

संस्था का कोड एवं नाम : 2237-NANDINI NAGAR MAHAVIDYALYA COLLEGE OF PHARMACY, NAWABGANJ, GONDA

क्र०सं०	पाठ्यक्रम का नाम	ए०आई०सी०टी०ई०/पी०सी०आई० द्वारा सत्र 2021-22 हेतु अनुमोदित प्रवेश क्षमता हेतु	परिषद द्वारा सत्र 2021-22 हेतु अनुमोदित प्रवेश क्षमता हेतु
1	DIPLOMA IN PHARMACY	60	60

सम्बद्धता हेतु शर्तें

- ✓ संस्था ए०आई०सी०टी०ई०/पी०सी०आई० द्वारा निर्धारित की गयी सभी शर्तों का पूर्णतः पालन करेगी।
- ✓ संस्था उत्तर प्रदेश प्राविधिक शिक्षा परिषद एक्ट 1982 तथा प्राविधिक शिक्षा परिषद विनियमावली 1992, सेमेस्टर विनियमावली-2016 तथा अन्य निर्मित नियमों एवं आदेशों का अनुपालन करेगी तथा शुल्क निर्धारण समिति द्वारा निर्धारित शुल्क तीन वर्षीय इजी० पाठ्यक्रमों हेतु ₹० 30150.00/- प्रतिवर्ष, दो वर्षीय फार्मेसी पाठ्यक्रम हेतु ₹०- 45000.00/- प्रतिवर्ष एवं एक तथा दो वर्षीय पाठ्यक्रमों (दो वर्षीय फार्मेसी पाठ्यक्रम के अतिरिक्त) हेतु ₹०-22500.00/- प्रतिवर्ष शुल्क ही प्रत्येक छात्र/छात्रा को प्राप्त किया जायेगा। उपरोक्त के अतिरिक्त छात्र/छात्राओं से शुल्क के सम्बन्ध में समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत किये जाने वाले शासनादेश प्रभावी होंगे, और तदनुसार कार्यवाही किया जाना आवश्यक होगा। फीस निर्धारण समिति द्वारा यदि सत्र 2021-22 हेतु फीस का पुनर्निर्धारण किया जाता है, तो फीस की नवीनतम दरें लागू होंगी।
- ✓ संस्था को (उ०प्र० प्राविधिक शिक्षा समितियां तथा उप समितियां, संस्थाओं को सम्बद्ध किया जाना) विनियमावली-2000 की शर्तों का अनुपालन करना होगा।
- ✓ संस्था में संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद द्वारा आवेदित छात्रों को ही प्रवेश दिया जायेगा। सीटों के रिक्त रह जाने की स्थिति में उत्तर प्रदेश शासन के निर्देशानुसार ही प्रवेश की कार्यवाही की जायेगी।
- ✓ संस्था को समय-समय पर निर्गत शासनादेश के अनुसार निरीक्षण एवं सम्बद्धता शुल्क जमा करना होगा।
- ✓ संस्था को ए०आई०सी०टी०ई०/पी०सी०आई० से आगामी सत्र हेतु अनुमोदन प्राप्त किया जाना आवश्यक होगा।
- ✓ संस्था उत्तर प्रदेश शासन द्वारा बनाये गये विधि/नियमों/अधिनियमों/शासनादेशों/निर्देशों एवं निदेशक, प्राविधिक शिक्षा, उ०प्र० संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, उ०प्र० तथा प्राविधिक शिक्षा परिषद, उ०प्र० द्वारा बनाये गये नियमों, विनियमों, आदेशों, निर्देशों का पालन करने के लिये बाध्य होगी।

संस्था का होगा और विधिक रूप से किसी भी कार्यवाही के लिए संस्था स्वयं उत्तरदायी होगी। प्राविधिक संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, प्राविधिक शिक्षा निदेशालय एवं प्राविधिक शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश शासन को कोई नुकसान नहीं किया जाता है तथा दापर वाद के संबंध में मा. न्यायालय द्वारा किसी प्रकार की प्रतिपूर्ति संबंधी आदेश निर्गत किया जाता है। संयुक्त प्रतिपूर्ति संबंधित संस्था को करनी होगी।

डिप्लोमा इन फार्मसी पाठ्यक्रम संचालित करने वाली संस्थाओं को संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश लखनऊ द्वारा प्रत्येक वर्ष के लिए आयोजित प्रवेश परीक्षा हेतु काउन्सिलिंग प्रारंभ होने के पूर्व पी0सी0आई0 से अनुमोदन प्राप्त कर परिषद कार्यालय को उपलब्ध कराना होगा अन्यथा उन्हें प्रवेश की (काउन्सिलिंग के माध्यम से अथवा संस्था स्तर पर सीधे प्रवेश) अनुमति नहीं प्रदान की जायेगी।

- ✓ उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रदेश हेतु निर्गत नवीनतम आरक्षण नियमों का अनुपालन करना आवश्यक होगा।
- ✓ संस्था को अपने वेबसाइट पर संस्था की समस्त सूचनाएँ जैसे संस्था की ऐतिहासिक पृष्ठि भूमि, स्टाफ, साज-सज्जा, उपकरण, प्राप्त किया जाने वाला शुल्क, छात्रावास शुल्क आदि का विवरण उपलब्ध कराना होगा।
- ✓ संस्था को शिक्षण-प्रशिक्षण हेतु उपर्युक्त वातावरण उपलब्ध कराने के साथ रैगिंग रोकने के सम्बन्ध में समस्त आवश्यक व्यवस्था सुनिश्चित करनी होगी।
- ✓ संस्था यह सुनिश्चित हो ले कि संस्था में प्रस्तावित संचालित पाठ्यक्रम को चलाये जाने हेतु निरीक्षण समिति के समक्ष उपलब्ध कराये गये अभिलेख, भूमि-भवन, फर्नीचर, उपकरण इत्यादि का यदि संस्था द्वारा किसी अन्य पाठ्यक्रम के संचालन में प्रयोग किया जाता है और परिषद को इसकी जानकारी होती है कि संस्था उपरोक्त का प्रयोग किसी अन्य कार्य के लिए कर रही है तो तत्कात संस्था की सम्बद्धता समाप्त किये जाने की अनुशंसा की जायेगी।
- ✓ संस्था के स्थलीय निरीक्षण दौरान यदि संस्था में भूमि, भवन, प्रयोगशाला, उपकरण एवं अन्य साज-सज्जा ए0आई0सी0टी0ई0 पी0सी0आई0/परिषद के मानकानुसार उपलब्ध नहीं पाया जाता है तो संस्था की सम्बद्धता समाप्त कर दी जायेगी।
- ✓ सम्बद्धता शर्तों का अनुपालन न किये जाने अथवा शर्तों का उल्लंघन किये जाने की स्थिति में नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्यवाही की जायेगी।

(सुनील कुमार सोनकर)

सचिव

पू0सं0- प्राशिप/परिषद सम्बद्धता/2021/3538-4809

दिनांक: 09/08/2021

प्रतिलिपि:-

प्रधानाचार्य/निदेशक, NANDINI NAGAR MAHAVIDYALYA COLLEGE OF PHARMACY, NAWABGANJ, GONDA



(सुनील कुमार सोनकर)

सचिव

**कार्यालय,
राष्ट्रीय प्राथमिक शिक्षा परिषद,
उत्तर प्रदेश लखनऊ।**

संख्या- प्राथमिक/परिषद सम्बद्धता/2020/1871

लखनऊ दिनांक: 15-9-2020

:-कार्यालय ज्ञाप:-

अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, नई दिल्ली/फार्मसी कार्यालय और इण्डियन, नई दिल्ली द्वारा भौतिक सत्र 2020-21 हेतु डिप्लोमा स्तरीय तकनीकी शिक्षण संस्थाओं को अनुमोदन प्रदान किए जाने को उपरान्त प्राथमिक शिक्षा परिषद, 2020 लखनऊ से सम्बद्धता/सम्बद्धता विस्तार प्रदान किए जाने हेतु दिनांक 14-9-2020 को अध्यक्ष प्राथमिक शिक्षा परिषद, 2020 लखनऊ की अध्यक्षता में परिषद कार्यालय में बैठक सम्पन्न हुई। बैठक में समिति द्वारा सत्र 2020-21 हेतु आवेदित नई संस्थाओं को सम्बद्धता/पूर्व से संयोजित संस्थाओं को सम्बद्धता विस्तार/पाठ्यक्रम/प्रवेश क्षमता कृष्टि सहित अन्य सदी पर विचार कर्ता हुए सत्र 2020-21 हेतु सम्बद्धता प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया।

उक्त के अनुक्रम में सम्बद्धता समिति की बैठक के मद-3 में किफायत इन फार्मसी पाठ्यक्रम संयोजित करने वाली पूर्व से सम्बद्ध संस्थाओं का प्रकल्प रखा गया। सम्बद्धता समिति द्वारा गठन विचार-विमर्श कर निम्नवा निर्णय लिया गया -

" निजी क्षेत्र में स्थापित किफायत इन फार्मसी पाठ्यक्रम संयोजित करने वाली संस्थाएं, जो प्राथमिक शिक्षा परिषद, 2020 लखनऊ से पूर्व से सम्बद्ध हैं, एवं सत्र 2020-21 हेतु पीठसीआईए द्वारा उन्हें बधावत् अनुमोदन विस्तार प्रदान किया गया है। इन संस्थाओं में पीठसीआईए द्वारा प्रदान किये गये अनुमोदन विस्तार के अनुसार उनका नाम के सम्मुख अंकित पाठ्यक्रम/प्रवेश क्षमता के साथ सत्र 2020-21 हेतु परिषद से सम्बद्धता विस्तार प्रदान किये जाने पर समिति द्वारा विचार-विमर्श किया गया एवं सर्वसम्मति से पीठसीआईए द्वारा प्रदत्त अनुमोदन विस्तार के अनुक्रम में सत्र 2020-21 हेतु परिषद से सम्बद्धता विस्तार दिये जाने का निर्णय लिया गया।"

दिनांक 14-09-2020 को अखिल सम्बद्धता समिति की बैठक में लिये गये उपरोक्त निर्णय के अनुक्रम में निम्न संस्था को प्राथमिक शिक्षा परिषद, 2020 लखनऊ द्वारा सत्र 2020-21 हेतु निम्नलिखित शर्तों के अधीन पाठ्यक्रम एवं उसमें अतिरिक्त प्रवेश क्षमता हेतु सम्बद्धता विस्तार प्रदान की जाती है -

क्र. सं.	संस्था का नाम	पाठ्यक्रम का नाम	पीठसीआईए द्वारा सत्र 2020-21 में अनुमोदित प्रवेश क्षमता	पीठसीआईए/परिषद द्वारा सत्र 2020-21 में अनुमोदित प्रवेश क्षमता
1	2020 नएवी नगर महाविद्यालय कॉलेज ऑफ फार्मसी, लखनऊ, यूपी।	किफायत इन फार्मसी	00	00

सम्बद्धता हेतु शर्तें

- ✓ संस्था ए0आई0सी0आई0/पीठसीआईए द्वारा निर्धारित की गयी शर्तों का पूर्णतः पालन करेगी।
- ✓ संस्था उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षा परिषद एक्ट 1962 तथा प्राथमिक शिक्षा विनियमनकारी 1992, सीएमए विनियमनकारी-2014 तथा अन्य विहित विधियों एवं अवशर्तों का अनुपालन करेगी तथा शुल्क निर्धारण समिति द्वारा निर्धारित शुल्क सीएम एक्ट 1962 पाठ्यक्रमों हेतु रु० 20,100.00/- प्रतिवर्ष, दो वर्षीय फार्मसी पाठ्यक्रम हेतु रु०-45,000.00/- प्रतिवर्ष एवं एक तथा दो वर्षीय पाठ्यक्रमों (दो वर्षीय फार्मसी पाठ्यक्रम के अतिरिक्त) हेतु रु०-22,000

(Handwritten Signature)

20. प्रीमियं सुलभ की प्रत्येक प्रारंभ/प्रारंभ से प्राप्त किया जाएगा। प्रत्येक की प्रीमियं प्रारंभ/प्रारंभों से सुलभ के सम्बन्ध में सम्यक-समय पर सावधान द्वारा निर्गत किये जाने वाले सावधानों प्रारंभ होने और तदनुसार कार्यवाही किया जाना आवश्यक होगा। नीचे निर्दिष्ट समिति द्वारा यदि सत्र 2020-21 हेतु नीचे का पूर्णनिर्धारण किया जाता है, तो नीचे की नवीनतम पर लागू होगी।

- ✓ संस्था को (2020) प्रीमियं शिक्षा समितियों तथा उप समितियों, कक्षाओं को सम्बद्ध किया जाना) विनियमावली-2020 की शर्तों का अनुपालन करना होगा।
- ✓ संस्था ने संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद द्वारा आयोजित प्रवेश को ही प्रवेश दिया जाएगा। कोई भी विद्यार्थी यह जान की विद्यार्थी ने उत्तर प्रदेश सरकार के निर्देशानुसार ही प्रवेश की कार्यवाही की जाएगी।
- ✓ संस्था को सम्यक-समय पर निर्गत सावधानों के अनुसार निर्दिष्ट एवं सम्बद्ध सुलभ प्रारंभ करवा होगा।
- ✓ संस्था को एम.ए.ए.सी.टी.सी./पी.सी.सी.टी.सी. से आगामी सत्र हेतु अनुपालन प्राप्त किया जाना आवश्यक होगा।
- ✓ संस्था द्वारा प्रदेश सरकार द्वारा बनाये गये विधि/निर्देश/अधिनियम/सामनादेश/निर्देश एवं निर्देशक, प्राथमिक शिक्षा, उच्च शिक्षा, संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, उच्च शिक्षा प्राथमिक शिक्षा परिषद, उत्तरांचल द्वारा बनाये गये विधान, विधियोग, आदेश, निर्देश का पालन करने के लिये बाध्य होगी।
- ✓ विद्यार्थी इन शर्तों की पालना करने वाली संस्थाएँ यदि पी.सी.टी.सी. या अनुपालन प्राप्त करने में असमर्थ होती है तो इन संस्था में सुलभ उत्तरांचल संस्था का होना और विधिक रूप से किसी भी कार्यवाही के लिए संस्था स्वयं उत्तरदायी होगी। प्राथमिक शिक्षा परिषद, संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, प्राथमिक शिक्षा निर्देशालय एवं प्राथमिक शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश सरकार को कोई बंधन प्राप्त किया जाता है तथा राज्य सरकार के संस्था में न, व्यापारिक द्वारा किसी प्रकार की प्रीमियं प्रवेश प्रवेश निर्गत किया जाता है तो समस्त प्रीमियं समिति संस्था को करणी होगी।
- ✓ विद्यार्थी इन शर्तों की पालना करने वाली संस्थाओं को संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश अध्यापक द्वारा प्रत्येक वर्ष के लिए आयोजित प्रवेश परीक्षा हेतु कार्यनिर्देश प्राप्त होने के पूर्व पी.सी.टी.सी. से अनुपालन प्राप्त कर प्रवेश कार्यवाही को सम्पन्न करना होगा अन्यथा उन्हें प्रवेश की (कार्यनिर्देश के माध्यम से अथवा संस्था द्वारा पर पी.सी.टी.सी. प्रवेश) अनुमति नहीं प्रदान की जाएगी।
- ✓ उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रवेश हेतु निर्गत नवीनतम आदेश नियमों का अनुपालन करना आवश्यक होगा।
- ✓ संस्था को अपने वेबसाइट पर संस्था की समस्त सूचनाएँ जैसे संस्था की एडमिनिस्ट्रेशन, स्टाफ, सत्र-समय, उपाय, प्रारंभ किया जाने वाला सुलभ, प्रत्येक सुलभ आदि का विवरण उपलब्ध कराना होगा।
- ✓ संस्था को विधान-अधिनियम हेतु उपर्युक्त प्रत्येक उपलब्ध करने के साथ ही संस्था को संस्था में समस्त आवश्यक सावधान सुनिश्चित करनी होगी।
- ✓ संस्था यह सुनिश्चित हो तो कि संस्था में प्रत्येक/समाहित पाठ्यक्रम को प्रदान करने हेतु निर्दिष्ट समिति के समस्त उपलब्ध करने वाले अधिनियम, अधिनियम, अधिनियम, अधिनियम कानून का यदि संस्था द्वारा किसी बंधन पालना के सम्बन्ध में प्रयोग किया जाता है और परिषद को इसकी जानकारी होती है कि संस्था प्रत्येक का प्रयोग किसी अन्य कार्य के लिए कर रही है तो सावधान संस्था की सम्बद्धता संस्था किये जाने की अनुमति की जाएगी।
- ✓ सम्बद्धता शर्तों का अनुपालन न किये जाने अथवा शर्तों का उल्लंघन किये जाने की स्थिति में विद्यार्थी को अनुपालन आवश्यक कार्यवाही की जाएगी।

(Handwritten Signature)
 (20 अक्टूबर 2020)
 सचिव

पुस्तक- प्राथमिक/परिषद सम्बद्धता/2020/ 1972-3141 तार दिनांक 15-09-2020

प्राथमिक-प्रधानमंत्री/निदेशक, नन्दनी नगर महाविद्यालय, कोलेज ऑफ फार्मसी, लखनऊ, गांधी।

(Handwritten Signature)
 (20 अक्टूबर 2020)
 सचिव

**कार्यालय,
राष्ट्रीय प्राथमिक शिक्षा परिषद,
राष्ट्रपति भवन, नयी दिल्ली।**

संख्या: प्राथमिक/परिषद सम्बद्धता/2019/1132

लगायत दिनांक: 15-9-2019

-कार्यालय आश-

राष्ट्रीय प्राथमिक शिक्षा परिषद द्वारा दिनांक 15-9-2019 को शिक्षण सामग्री तैयार करने के लिए समबद्धता प्रदान किए जाने के अंतर्गत प्राथमिक शिक्षा परिषद, राष्ट्रीय प्राथमिक शिक्षा परिषद, राष्ट्रीय प्राथमिक शिक्षा परिषद द्वारा दिनांक 15-9-2019 को समबद्धता प्राथमिक शिक्षा परिषद, राष्ट्रीय प्राथमिक शिक्षा परिषद में प्राथमिक शिक्षा के लिए समबद्धता प्रदान की गई। दिनांक 15-9-2019 को प्राथमिक शिक्षा परिषद, राष्ट्रीय प्राथमिक शिक्षा परिषद के समबद्धता प्रदान की गई। समबद्धता प्रदान की गई। समबद्धता प्रदान की गई। समबद्धता प्रदान की गई।

इसके अतिरिक्त समबद्धता समिति को दिनांक 15-9-2019 में शिक्षण सामग्री तैयार करने के लिए समबद्धता प्रदान की गई। समबद्धता प्रदान की गई। समबद्धता प्रदान की गई। समबद्धता प्रदान की गई।

श्री 10/2019/सीटीआईडीए द्वारा प्रदान किये जाने अनुमोदन विस्तार के अनुक्रम में संलग्नक-2 में उल्लिखित पूर्व से समबद्धता शिक्षण सामग्री संस्थाओं के समर्थन में समिति द्वारा विचार-विमर्श किया गया और सर्वसम्मति से संलग्नक-2 में उल्लिखित संस्थाओं को सत्र 2019-20 हेतु समबद्धता विस्तार प्रदान किये जाने का निर्णय इस सत्र के साथ लिया गया कि संस्थाओं को शिक्षण सामग्री तैयार करने में प्रथम वर्ष में प्रवेश की ससुति सत्र 2019-20 हेतु संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद द्वारा आयोजित काउन्सिलिंग प्रारंभ होने के पूर्व पीसीटीआईडीए अनुमोदन पर परिषद कार्यालय को भ्रमण करने के उपरांत ही की जाएगी।

अतः शिक्षण सामग्री तैयार करने के लिए समबद्धता प्रदान की गई। समबद्धता प्रदान की गई। समबद्धता प्रदान की गई। समबद्धता प्रदान की गई।

क्र. सं.	नाम	संस्था का नाम	पता	श्री 10/2019/सीटीआईडीए अनुमोदन द्वारा सत्र 2019-20 में अनुमोदन प्रदान किया गया	प्राथमिक शिक्षा परिषद द्वारा सत्र 2019-20 में अनुमोदन प्रदान किया गया
1	श्री 10/2019/सीटीआईडीए अनुमोदन प्रदान किया गया	श्री 10/2019/सीटीआईडीए अनुमोदन प्रदान किया गया	श्री 10/2019/सीटीआईडीए अनुमोदन प्रदान किया गया	श्री 10/2019/सीटीआईडीए अनुमोदन प्रदान किया गया	श्री 10/2019/सीटीआईडीए अनुमोदन प्रदान किया गया

संलग्नक 2 में

- श्री 10/2019/सीटीआईडीए अनुमोदन प्रदान किया गया।
- श्री 10/2019/सीटीआईडीए अनुमोदन प्रदान किया गया।

- 1. कर्मचारी को अपने कार्यालय समय में ही निर्दिष्ट भोजन प्राप्त नहीं करे और 20-25 रुपये प्रति दिन की दरसे भोजन किया जाए है, जो भोजन की आवश्यकता को पूरा करेगा।
- 2. भोजन को (सामान्य भोजन/विशेष भोजन) रूप में वर्गीकृत किया जाए और भोजन को स्वच्छ और सुरक्षित रूप में प्रदान किया जाए।
- 3. भोजन में शुद्धता और सुरक्षा के लिए आवश्यक सभी आवश्यकताओं को पूरा किया जाएगा। भोजन को ठंडा और गर्म दोनों में प्रदान किया जाएगा।
- 4. भोजन को स्वच्छ और सुरक्षित रूप में प्रदान किया जाएगा। भोजन को ठंडा और गर्म दोनों में प्रदान किया जाएगा।
- 5. भोजन को स्वच्छ और सुरक्षित रूप में प्रदान किया जाएगा। भोजन को ठंडा और गर्म दोनों में प्रदान किया जाएगा।
- 6. भोजन को स्वच्छ और सुरक्षित रूप में प्रदान किया जाएगा। भोजन को ठंडा और गर्म दोनों में प्रदान किया जाएगा।
- 7. भोजन को स्वच्छ और सुरक्षित रूप में प्रदान किया जाएगा। भोजन को ठंडा और गर्म दोनों में प्रदान किया जाएगा।
- 8. भोजन को स्वच्छ और सुरक्षित रूप में प्रदान किया जाएगा। भोजन को ठंडा और गर्म दोनों में प्रदान किया जाएगा।
- 9. भोजन को स्वच्छ और सुरक्षित रूप में प्रदान किया जाएगा। भोजन को ठंडा और गर्म दोनों में प्रदान किया जाएगा।
- 10. भोजन को स्वच्छ और सुरक्षित रूप में प्रदान किया जाएगा। भोजन को ठंडा और गर्म दोनों में प्रदान किया जाएगा।
- 11. भोजन को स्वच्छ और सुरक्षित रूप में प्रदान किया जाएगा। भोजन को ठंडा और गर्म दोनों में प्रदान किया जाएगा।
- 12. भोजन को स्वच्छ और सुरक्षित रूप में प्रदान किया जाएगा। भोजन को ठंडा और गर्म दोनों में प्रदान किया जाएगा।
- 13. भोजन को स्वच्छ और सुरक्षित रूप में प्रदान किया जाएगा। भोजन को ठंडा और गर्म दोनों में प्रदान किया जाएगा।
- 14. भोजन को स्वच्छ और सुरक्षित रूप में प्रदान किया जाएगा। भोजन को ठंडा और गर्म दोनों में प्रदान किया जाएगा।
- 15. भोजन को स्वच्छ और सुरक्षित रूप में प्रदान किया जाएगा। भोजन को ठंडा और गर्म दोनों में प्रदान किया जाएगा।
- 16. भोजन को स्वच्छ और सुरक्षित रूप में प्रदान किया जाएगा। भोजन को ठंडा और गर्म दोनों में प्रदान किया जाएगा।
- 17. भोजन को स्वच्छ और सुरक्षित रूप में प्रदान किया जाएगा। भोजन को ठंडा और गर्म दोनों में प्रदान किया जाएगा।
- 18. भोजन को स्वच्छ और सुरक्षित रूप में प्रदान किया जाएगा। भोजन को ठंडा और गर्म दोनों में प्रदान किया जाएगा।
- 19. भोजन को स्वच्छ और सुरक्षित रूप में प्रदान किया जाएगा। भोजन को ठंडा और गर्म दोनों में प्रदान किया जाएगा।
- 20. भोजन को स्वच्छ और सुरक्षित रूप में प्रदान किया जाएगा। भोजन को ठंडा और गर्म दोनों में प्रदान किया जाएगा।

(नाम और पता)

पुस्तक - अधिनियम/संविधान संख्या/2019/111-112

दिनांक: 10-11-2019

व्यक्तिगत/सामान्य/विशेष/अन्य/सर्वोच्च/द्वितीय/तृतीय/चतुर्थ/पंचम/षष्ठ/सप्तम/अष्टम/नवम/दशम


 (नाम और पता)
 अधिकारी